भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2128**

(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**नई पेंशन योजना की समीक्षा**

2128. श्री इलामारम करीमः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना कब से लागू की गई;

(ख) कौन-कौन से राज्यों ने नई पेंशन योजना लागू नहीं की थी;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि नई पेंशन योजना के भाग के रूप में कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन कर्मचारी सांविधिक पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन से कम है; और

(घ) क्या सरकार राज्य और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी विरोध को ध्यान में रखते हुए नई पेंशन योजना की समीक्षा करने को तैयार होगी?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)

**(क):** भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के अंतर्गत राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) (पूर्व में नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी) की शुरुआत की थी और इसे दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके बाद नई भर्ती होने पर सेवा में आने वाले केन्‍द्र सरकार के सभी कर्मचारियों हेतु (सशस्‍त्र बलों को छोड़कर) अनिवार्य कर दिया गया था। मई, 2009 से भारत के सभी नागरिकों हेतु एनपीएस का विस्तार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्‍त, पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 12(4) के अंतर्गत राज्‍य सरकारें अपने कर्मचारियों को एनपीएस हेतु अधिसूचित करने के लिए सशक्‍त हैं।

**(ख):** 29 राज्यों में से पश्चिम बंगाल को छोड़कर 28 राज्यों ने अपने कर्मचारियों हेतु एनपीएस को अधिसूचित कर दिया है।

**(ग):** एनपीएस के अंतर्गत, अभिदाता के पर लागू होने वाले यथा विनिर्धारित सेवा नियमों के अनुसार जब वह सेवानिवृत्त होता है तो ऐसे अभिदाता की संचित पेंशन निधि में से कम से कम 40% का उपयोग उसे मासिक प्रदान करने के लिए वार्षिकी के क्रय हेतु अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा ऐसे उपयोग के उपरान्त संचित पेंशन निधि की शेष राशि का, एक मुश्त रूप में, भुगतान अभिदाता को किया जाएगा जिसे अब सरकार के दिनांक 06.12.2018 के निर्णय के द्वारा कर मुक्त कर दिया गया है (अधिकतम एक मुश्त आहरण – संचित निधि का 60%)/एनपीएस के अंतर्गत प्रतिफल बाजार से जुड़े (लिंक्ड) हैं तथा पेंशन/वार्षिकी बर्हिगमन/सेवानिवृत्ति के समय पर वार्षिकी के क्रय हेतु उपयोग किए जा रही संचित निधि पर निर्भर करती है।

**(घ):** सरकार ने सचिवों की समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को युक्तिसंगत बनाने के लिए विभिन्न प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं। ये उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए उसके कर्मचारियों के टियर-I खातों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य अंशदान को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। कर्मचारियों की अंशदान दर मौजूदा 10% बनी रहेगी।
2. केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन निधि तथा निवेश के तरीके का चयन करने के विकल्प की स्वतंत्रता प्रदान करना।
3. निकासी पर एकमुश्त आहरण के लिए टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 60% किया गया है। इसके साथ अब सम्पूर्ण आहरण को आयकर से छूट प्राप्त होगी।

\*\*\*